भारत संघ और अन्य

बनाम

राजेश व्यास

सिविल अपील संख्या 2668, वर्ष 2022

फरवरी 7, 2008

(डॉ. अरिजित पसायत एवं पी. सदाशिवम, जे.जे.)

सेवा नियम:

वायुसेना नियम, 1969, r.15 (2) (g) (ii) वायुसेना अधिनियम 1982, धारा-82. आदतन अपराधी नीति के तहत जारी दिशा निर्देशों के तहत वायुसैनिकों को सेवा से बर्खास्त करना- वायुसैनिकों को उनके आचरण और व्यवहार में सुधार लाने हेतू चेतावनी जारी करना- दोषी वायुसैनिकों को बर्खास्त करने का आदेश देने से पहले, उनके द्वारा आगे अपराध करने के लिए कारण बताओं नोटिस जारी किया गया था-

दोषी वायुसैनिकों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा कारण बताओं नोटिस की उचित तामील के पश्चात एवं प्रत्येक मामले में जवाब के विचारण के उपरांत तथा प्रासंगिक निर्देशों की अनुपालना में सेवामुक्त किया गया- तथ्यानुसार अधीनस्थ न्यायालय यह

अभिनिर्धारित करने में गलत थे कि कारण दर्शाओ नोटिस के जवाब का सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचारण नहीं किया गया था।

अतः एकल न्यायाधीश् और उच्च न्यायालय की खंडपीठ के फैसले को अपास्त किया जाता है- हालांकि, संबंधित अपील के तथ्यों एवं परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के आदेश को उचित रूप से अपास्त कर दिया- उस प्रकरण में उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैँ।

प्रतिवादीगण ने वादीगण द्वारा पारित सेवामुक्ति के आदेश के विरुद्ध रिट याचिकाएं दायर की उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने याचिकाओं को यह कहते हुए स्वीकार कर लिया कि अधिकारियों द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पूर्णतः उल्लंघन करते हुए सेवामुक्त करने का आदेश पारित किया गया।

एकल न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध दायर अपीलों को उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने चार मामलों में एकल न्यायाधीश के दृष्टिकोण को बरकरार रखते हुए खारिज कर दिया था, जिसके विरुद्ध अपीलकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत अपील दायर की गई।

अपीलकर्ता भारत संघ की ओर से तर्क दिया गया कि मूल रिकॉर्ड उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे, जो स्पष्ट तरीके से इंगित करते है कि कारण बताओं नोटिस जारी किया गया था, तथ्य इस प्रकार है कि ऐसे सभी प्रतिवादीगण ने कारण बताओं नोटिस का दिया था, जोकि प्रतिवादीगण द्वारा विवादित नहीं है। उच्च

न्यायालय के एकल न्यायाधीश और खंडपीठ दोनों ने यह निर्णय लेने में त्रुटि की, कि जवाब पर विचार किए बिना सेवामुक्त करने का आदेश पारित कर दिया गया था।

प्रतिवादीगण ने जाहिर किया कि सेवामुक्ति के आदेश में कारण बताओं नोटिस के जवाब पर विचार करने का कोई संकेत नहीं हैं।

सिविल अपील संख्या 2670 वर्ष 2002 को खारिज करते हुए और अन्य अपीलों कों स्वीकार किया जाता है ।

अभिनिर्धारित किया : 1.1 ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ताओं द्वारा बिना छुट्टी के अनुपस्थिति और वायुसैनिकों द्वारा किये गए अन्य अपराधों पर एक परियोजना अध्ययन के परिणामस्वरुप आदतन अपराधियों की नीति तैयार की गई थी, जो भारतीय वायु सेना में वायुसैनिकों के आदतन अपराधियों के मौजूदगी के बारे में मुख्य विशेषताओं को सामने लाती हैं। यह पाया गया कि वायु सेना में वायुसैनिकोंें का एक विशिष्ट हार्डकोर समूह था जो साल दर साल वायु सेना में वार्षिक अपराध आंकडो में नियमित रूप से और मुख्य रूप से बढावा देता रहा हैं, ऐसे वायुसैनिकों का यह समूह सेवा में अन्य वायुसैनिकों के सामान्य अनुशाासन पर प्रतिकूल प्रभाव का एक मजबूत स्रोत रहा हैं ।

1.2 आदतन अपराधी नीति के संदर्भ में एक वायुसैनिक को चेतावनी दी जानी थी जो पराकाष्ठा पर था और उसे अपने आचरण और व्यवहार मेंं सुधार करने के लिए कहा गया था और यदि वह कोई और अपराध करता है, और उसके दायरे में आता है कि

वह आदतन अपराधी है, तो उसे सेवामुक्त किया जा सकता है। यदि कोई और अपराध करता है तो उसे कारण बताओ नोटिस दिया जाऐगा और उसके पश्चात r.15 (2) (g) (iii) वायुसेना अधिनियम 1969 (पैरा-9) (577-ई, फ) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा सेवामुक्त करने का आदेश दिया जाना था।

2. संबंधित अधिकारियों द्वारा दिये गये जवाब पर विचार के लिए प्रासंगिक साम्रागी रिकॉर्ड का हिस्सा हैँ । इसमें कोई विवाद नहीं है कि मूल अभिलेख उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे। हालांकि सेवामुक्ति आदेश में उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा विचार का कोई विशेष संदर्भ नहीं है, वास्तव में प्रत्येक मामले में कारण बताओं नोटिस के उतर पर विचार किया गया था। उत्तर पर उचित विचार करने के बाद, सिफारिश की गई कि समक्ष प्राधिकारी संबंधित अधिकारिंयों को सेवा में बनाए रखने के लिए अनुपयुक्त मानकर सेवामुक्त कर सकते हैँ। विभिन्न अधिकारियों ने मामले पर विचार किया और सक्षम प्राधकिारी ने अंततः उक्त नियमों की धारा के तहत सेवामुक्त करने की सिफारिश को स्वीकार कर लिया। इसके बाद सेवामुक्त करने का आदेश पारित किया गया जहां यह स्पष्ट रूप से नोट किया गया कि सक्षम प्राधिकारी यानी एओपी संबंधित अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त करने में सहमत था।

सेवामुक्त करने का आदेश में यह भी कहा गया कि ए.एफ.ओ 291/77, 40/89 और वायु सेना रिकॉर्ड कार्यालय दिनांक 28.11.1991 के पत्र में जो निहित है एक वायुसैनिक के सेवामुक्त करने के निर्देशों का सख्ती से पालन किया गया था। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश और खंडपीठ का यह मानना गलत था कि कारण

बताओ नोटिस पर दिए गए जवाब पर विचार नहीं किया गया। तथ्यात्मक परिदृश्य इसके विपरीत है। इसलिए एकल न्यायाधीश और डिवीजन बेंच के फैसलों को बरकरार नहीं रखा जा सकता और उन्हे अपास्त किया जाता है।

3. जहां तक सिविल अपील संख्या 2670 वर्ष 2002 का संबंध है, जब प्रकरण की सुनवाई हुई तब अपीलकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं था। दरअसल अपीलकर्ता ने कारण बताओ नोटिस के जवाब में एक शपथपत्र दायर किया था जिसमें कहा गया था कि उनके पास कोई स्पष्टीकरण देने के लिए नहीं है। ऐसी स्थिति में एकल न्यायाधीश द्वारा रिट याचिका को स्वीकार करना उचित नहीं था।

जहां तक अपीलकर्ता का संबंध है, उच्च न्यायालय के खंडपीठ में अपीलकर्ता द्वारा दायर विशेष अपील को अनुमति देना उचित था। इसलिए इस प्रकरण में उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। (पैरा-13) (578-एफ, जी, 579-ए)

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील नंबर 2668 वर्ष 2002

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के डी.बी. स्पेशल अपील संख्या 771 वर्ष 1998 में निर्णय एंव आदेश दिनांक 26.09.2000

साथ

सी.ए. नंबर 2669,2670,2671, एवं 2672 वर्ष 2002

आर.मोहन, ए.एस.जी, आई. वेंकटनारायणा, अरविंद शुक्ला, किरण भारद्वाज, अजय शर्मा, बी.के प्रसाद एवं बी.वी. बलरामदास - अपीलकर्ताओं की ओर से।

बी.डी. शर्मा, व्यास एवं डॉ. आरय लिंगैया - प्रतिवादी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय एतद्द्वारा सुनाया गया-

डाॅ. अरिजित पसायत, जे.

1. इन पांच अपीलों में राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की खंडपीठ के दिनांक 26.09.2000 के निर्णय में एक समान मैट्रिक्स हैँ, राजस्थान उच्च न्यायालय के अध्यादेश 1949 की धारा 18 के तहत भारत संघ और अन्य द्वारा आठ विशेष अपीलें दायर की गई। विशेष अपील में उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दायर रिट याचिकाओं को अनुमति देते हुए पारित आदेश को चुनौती दी गई थी, यह माना गया कि रिट याचिकाओं में विवाद को भारत संघ और अन्य में इस न्यायालय के एक निर्णय द्वारा रिट याचिकाकर्ताओं के पक्ष में कवर किया गया था।

भारत संघ बनाम वी. कॉर्पोरल ए के बख्शी और अन्य (1996 एस.सी.सी. 65) में उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय द्वारा चार मामलों में विद्वान एकल न्यायाधीश के दृष्टिकोण को बरकरार रखा और दो मामलों में माना कि भारत संघ द्वारा दायर अपीलें अनुमति के योग्य थी। इस न्यायालय के समक्ष भारत संघ द्वारा दायर चार मामलों में, डिवीजन बेंच ने विद्वान एकल न्यायाधीश के दृष्टिकोण के बरकरार रखा और माना कि आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के स्पष्ट उल्लंघन में पारित किया गया था।

2. उक्त अपीलों में, भारत संघ का रूख यह है कि कारण बताओं नोटिस जारी किया गया था, जिसका जवाब प्रत्येक मामले में प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किया गया था और उस पर विचार करने के बाद, सेवामुक्त करने का आदेश पारित किया गया था।

3. दो अपीलों में, जिनका निर्णय भारत संघ के पक्ष में दिया गया, यह माना गया कि कारण बताओं नोटिस विधिवत जारी किया गया था और कोई जवाब नहीं दिया गया था। ऐसे ही एक आदेश के विरूद्ध सिविल अपील संख्या 2670 वर्ष 2002 दायर की गई हैँ।

4.अपीलकर्ता की ओर से विद्वान वकील- भारत संघ ने प्रस्तुत किया कि मूल रिकॉर्ड उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे वे स्पष्ट रूप से इंगित करते है कि कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिस तथ्य पर प्रतिवादीगण द्वारा कोई ऐतराज नहीं किया गया था। यह तथ्य भी विवादित नहीं है कि ऐसे प्रत्येक प्रतिवादीगण ने जवाब दिया था ।

भारत संघ का यह रूख है कि विद्वान एकल न्यायाधीश और डिवीजन बेंच दोनों ने यह मानने में गलती की है कि जवाबों पर विचार किए बिना सेवामुक्त करने का आदेश पारित कर दिया गया था।

5 एक अपील जोकि सिविल अपील संख्या 2668 वर्ष 2002 है, में प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि सेवामुक्त करने का आदेश कारण बताओं

नोटिस के जवाब पर विचार किया गया हो ऐसा संकेत नहीं देता हैं। अन्य तीन मामलों में, प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ है।

6. संतोष सिंह द्वारा दायर अपील जोकि सिविल अपील संख्या 2670 वर्ष 2002 है, में उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से पाया कि कारण बताओ नोटिस का जवाब नहीं दिया गया। जब प्रकरण की सुनवाई हुई तो अपीलकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

7. ऐसा प्रतीत होता है कि आदतन अपराधियों की नीति, "बिना छुटटी की अनुपस्थिति" के अपराधों और वायुसैनिकों द्वारा किये गये अन्य अपराधों पर रक्षा प्रबंधन संस्थान द्वारा किए गए एक परियोजना अध्ययन के परिणामस्वरूप तैयार की गई थी, जिससे उनकी मौजूदगी के संबंध में मुख्य विशेषताओं को सामने लाया गया।

यह पाया गया कि वायु सेना में वायुसैनिकोें का एक विशिष्ट हार्डकोर समूह था जो साल दर साल वायु सेना में वार्षिक अपराध आंकडो में नियमित रूप से और मुख्य रूप से बढावा देता रहा हैं, ऐसे वायुसैनिकों का यह समूह सेवा में अन्य वायुसैनिकों के सामान्य अनुशाासन पर प्रतिकूल प्रभाव का एक मजबूत स्रोत रहा हैं। कुछ देखे गए प्रतिकूल प्रभाव इस प्रकार थे-

(ए) सामान्य मनोबल और अनुशासन पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव और विशेषतः प्रशिक्षण केंद्रों से विभिन्न इकाईयों में शामिल होने वाले युवा वायुसैनिकों पर प्रभाव।

(बी) यूनिट स्तर के प्रशासन को अनुशासन के इन पुराने मामलों में पहले से व्यस्त रखा गया था जो समय पर बाधा डालते थे जो अन्यथा रचनात्मक गतिविधि के लिए आवश्यक था।

(सी) अक्सर, किसी न किसी स्तर पर, इस समूह के वायुसैनिकों को न केवल वायु सेना के भीतर बल्कि बाहर भी गंभीर अपराध करते हुए पाया गया, जिससे सेवा की छवि खराब हुई, और,

(डी) निश्चित तौर पर कई वायुसैनिक अपने कार्य में भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे थे।

8. इसलिए सेवा में उनका समग्र योगदान नगण्य था। समय बीतने के साथ, इनमें से कुछ वायुसैनिकों को पदोन्नत किया गया और उन्होंने वरिष्ठ गैर-कमीशन अधिकारियों की रैंक प्राप्त की और इस प्रकार, ऐसे वरिष्ठ कर्मचारी दूसरों के लिए, विशेषकर युवा वायुसैनिकों के लिए बहुत खराब उदाहरण थे। इस प्रकार, वायुसैनिकों के बीच आदतन अपराधियों की मौजूदगी और उनके बार-बार अनुशासनहीनता के कृत्यों के प्रतिकूल प्रभावों को ध्यान रखते हुए, जिसने भारतीय वायु सेना के सामान्य अनुशासन और प्रशासन को कमजोर कर दिया हैँ

वायु सेना मुख्यालय ने ऐसे आदतन अपराधियों से सख्ती से निपटने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करते हुए ऐसे वायुसैनिकों को बर्खास्त करने के लिए आदतन अपराधी नीति बनाने का निर्णय लिया। उक्त नीति के पैराग्राफ 2 में यह निर्धारित

किया गया था कि, जो वायुसैनिक निम्नलिखित व्यक्तिगत मानदंडों में से किसी एक को पूरा करते है उनकों आदतन अपराधी माना जाएगा। और वायु सेना नियम 1969 संक्षेप में नियम 1969, r.15(2)(g)(iii) वायुसेना अधिनियम 1982 के तहत सेवामुक्ति के लिए विचार किया जाएगा।

(ए) दंड प्रविष्टियों की संख्या छह और उससे अधिक (लाल और काली स्याही प्रविष्टयों सहित)

(बी) चार लाल स्याही दंड प्रविष्टियां; और

(सी) चार दंड प्रविष्टियाें (लाल और काली स्याही प्रविष्टियां) में किसी एक विशिष्ट प्रकार के अपराध जैसे कि अवज्ञा, अवज्ञा ,एडब्लयूएल, शिविर से बाहर निकलना, शराब से जुडे अपराध, अनुशासनहीनता, कमीशन के लिए बार-बार अपमानजनक भाषा व धमकी भरी भाषा का उपयोग शामिल है,

9. लाल स्याही की प्रविष्टियां वायु सेना अधिनियम की धारा 82 के तहत सजा के पैमाने में उच्च सजा के लिए है, जबकि काली स्याही की प्रविष्टियां धारा 82 में कम पैमाने पर सजा के लिए हैँ। बर्खास्तगी के लिए नीति को लागू करने के के लिए जिन विसतृत कार्यवाहियों और प्रक्रियाओं का पालन करना आवश्यक था, वे पॉलिसी के परिशिष्ट में दी गई है, जिसे बर्खास्तगी के लिए प्रक्रिया के तौर पर जाना जाता है। आदतन अपराधी जिन्हें सेवा में बनाए रखने के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया, उन्हें शरूआत से दो श्रेणियों में रखा गया था-

(ए) आदतन अपराधी जो पहले ही नीति दिशानिर्देशों के पैराग्राफ 4 (ए) (बी) और (सी) के तहत निर्धारित मानदंडों को पार कर चुके हैं ँ और (बी) अपराधी जो पराकाष्ठा पर हैँ प्रक्रिया के अनुसार एक वायुसैनिक जो अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा पर है उसको चेतावनी दी जानी थी, ओर उसे अपने आचरण और व्यवहार में सुधार करने के लिए कहा गया था और यदि उसने कोई और अपराध किया और आदतन अपराधी के दायरे में आता है, तो उसे दोषी ठहराया जाएगा, और वह सेवामुक्त किये जाने योग्य होगा। यदि वह कोई और अपराध करता है तो उसे कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा और उसके बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियम 1969, r.15(2)(g)(ii) के तहत सेवामुक्त करने का आदेश दिया जाऐगा ।

10. जैसा कि उपर उल्लेख किया गया है, इस न्यायालय द्वारा एके बख्शी के मामले (सुप्रा) में आदतन अपराधी को सेवामुक्त करने की नीति पर विचार किया गया था। नीति का विश्लेषण करने के बाद, यह देखा गया कि नीति के पीछे का पूरा विचार अनुशासनहीन कर्मियों को सेना से बाहर करना था। आगे यह देखा गया कि यह एक डिस्चार्ज सिम्लिसटर था और इस तरह इसे कदाचार के लिए सजा के माध्यम से सेवा समाप्ति के तौर पर नहीं माना जा सकता हैँ।

11. संबंधित अधिकारियों द्वारा जवाब पर विचार के संबंध में प्रस्तुत किये गए प्रासंगिक दस्तावेज अभिलेख का हिस्सा हैँ। इसमें कोई विवाद नहीं है कि मूल अभिलेख उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे। हालांकि बर्खास्तगी आदेश में उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा विचार का कोई विशेष संदर्भ नहीं है, वास्तव में प्रत्येक मामले में

जवाब पर विचार किया गया था। जवाब पर उचित विचार करने के बाद, सेवामुक्त करने का आदेश पारित किया गया जहां यह स्पष्ट रूप से नोट किया गया कि सक्षम प्राधिकारी यानी एओपी संबंधित अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त करने में सहमत था।

सेवामुक्त करने का आदेश में यह भी कहा गया कि ए.एफ.ओ 291/77, 40/89 और वायु सेना रिकॉर्ड कार्यालय दिनांक 28.11.1991 के पत्र में जो निहित है एक वायुसैनिक के सेवामुक्त करने के निर्देशों का सख्ती से पालन किया गया था। उपरोक्त स्थिति के अनुसार, विद्वान एकल न्यायाधीश और डिवीजन बेंच यह मानने में गलत थे कि कारण बताओ नोटिस पर दिए गए जवाब पर विचार नहीं किया गया ।

विद्वान एकल न्यायाधीश और डिवीजन बेंच यह मानने में गलत थे कि कारण बताओ नोटिस पर दिए गए जवाब पर विचार नहीं किया गया। विद्वान एकल न्यायाधीश और डिवीजन बेंच यह मानने में गलत थे कि कारण बताओ नोटिस पर दिये गए जवाब पर विचार नहीं किया गया। तथ्यात्मक परिदृश्य इसके विपरीत है।

12. उपरोक्त् स्थिति होने पर, विद्वान एकल न्यायाधीश और डिवीजन बेंच के निर्णयों को बरकरार नहीं रखा जा सकता है और प्रत्येक मामले में अपास्त किया जाता है।

13. जहां तक सिविल अपील संख्या 2670 वर्ष 2002 का प्रश्न है, जब प्रकरण की सुनवाई हुई तो अपीलकर्ता की ओर से कोई उपस्थिति नहीं दी गई थी, दरअसल

अपीलकर्ताओं ने कारण बताओ नोटिस के जवाब में एक शपथपत्र दायर किया था जिसमें कहा गया था कि उनके पास कोई स्पष्टीकरण देने के लिए नहीं है।

ऐसी स्थिति में एकल न्यायाधीश द्वारा रिट याचिका को अनुमति देना उचित नहीं था। जहां तक अपीलकर्ता का संबंध है, उच्च न्यायालय के खंडपीठ में अपीलकर्ता द्वारा दायर विशेष अपील को अनुमति देना उचित था। इसलिए इस प्रकरण में उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

14. परिणामस्वरूप, सिविल अपील संख्या 2670 संख्या 2002 खारिज की जाती है, जबकि अन्य अपीलें स्वीकार की जाती हैं। ख़र्चें के संबंध में कोई आदेश नही किया जा रहा है।

सिविल अपील संख्या 2668, 2669,2670,2671 एवं 2072 वर्ष 2002 स्वीकार की जाती है।

सिविल अपील संख्या 2670 वर्ष 2002 खारिज की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी खगेन्द्रकुमार शर्मा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।